

न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०- M-42 / 20.....

धारा-107 द०प्र०सं०

श्रीमती (व्य. म.ए.व.) बगोरह बनाम परिक्षित म.ए.व. बगोरह

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	<p>अभिलेख सं०-एम. 42 / 20.19 में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी श्रीमती (व्य. म.ए.व.) बगोरह के अप्राथमिकी सं०- 11/19 दिनांक-07-05-19 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि जमानत विवाद को लेकर उभय पक्ष के बनाव है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उरी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 21/06/19 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p>	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	<p>अन्य अधिकार हाजरी । प्रथम पत्र अधिकार द्वारा गांधी हेड कार्यालय तैयि की मांग की गई दिनांक 24-02-2020 को 22वें</p> <p style="text-align: center;">1/ [Signature] / 10/2</p>	
24-02-2020	<p>अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र उपलब्ध दिनांक पर क्रमांक 02, 03 उपलब्ध क्रमांक 01 अनुपलब्ध । प्रथम पत्र गांधी हेड दिनांक 02-03-2020 को 22वें</p> <p style="text-align: center;">1/ [Signature]</p>	
02/03/2020	<p>अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र क्रमांक 01 उपलब्ध अन्य अनुपलब्ध । दिनांक पर क्रमांक 03 उपलब्ध अन्य अधिकार हाजरी । प्रथम पत्र की ओर से न्यायालय में सिद्ध एक अनुक यूल्टिमाटम आवेदन दिया गया कि प्रथम पत्र के अब कोई विवाद नहीं है । यह कि प्रथम पत्र एक ही परिवार के हैं और पारिवारिक संबंध अच्छे हैं । प्रथम पत्र द्वारा</p>	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	<p>निवेदन किया गया है कि इक्त वाद को समाप्त किया जाय।</p> <p>अतः उक्त पत्र के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं उक्त पत्र से अपेक्षा की जाती है कि मतिष्य के भी शान्त बनाए रखेंगे। वाद के अधिकार की कार्रवाई बन्द की जाती है।</p> <p>कार्यपालक पदाधिकारी पृष्ठ (सैंची)</p> <p>कार्यपालक पदाधिकारी पृष्ठ (सैंची)</p>	